[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना
सं. 02/2026-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2026

सा.का.नि....(अ).- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप-धारा (1) द्‌वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 793 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 द्‌वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 11/2017-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 का और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) सारणी में,-

(i) क्र.सं. 3 के समक्ष, स्तंभ (3) में, मद (ii) के पश्चात्, परंतुक में, “2026” अंकों के स्थान पर अंक “2028” प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) क्र.सं.9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“9क.	2711 21 00	संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) जब बायोगैस या संपीडित बायोगैस (सीबीजी) के साथ सम्मिश्र हो	14%”;

		स्पष्टीकरण:- इस प्रविष्टि के अंतर्गत उत्पाद शुल्क के गणना हेतु ऐसी सम्मिश्र संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) के मूल्य में, ऐसी सम्मिश्र संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) में अंतर्विष्ट बायोगैस या संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) का मूल्य और ऐसी बायोगैस या संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) पर संदत्त की गई, यथास्थिति, समुचित केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर की राशि, अपवर्जित होगी	

(ख) अनुलग्नक के पश्चात्, परंतुक में, मद (ख) में, "2026" अंकों के स्थान पर अंक "2028" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) *स्पष्टीकरण 2* के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"*स्पष्टीकरण 3*.- सारणी के क्रम संख्या 9क के समक्ष स्तंभ (3) में वर्णित माल के प्रयोजन के लिए, "समुचित केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर" से तात्पर्य केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) , संबद्ध राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) के अधीन उद्‌गगृहीत किए जाने वाले क्रमशः केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर से है ।"।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2026 को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 334/05/2026-टीआरयू]

(धीरज शर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी: मूल अधिसूचना सं. 11/2017-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 793(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 107(अ), दिनांक 01 फरवरी, 2025 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 01/2025-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2025 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी ।